KARRA SOCIETY FOR RURAL ACTION, RANCHI

Activity Report 2019-2020

1. **CFT/MGNREGA Project**

   The CFT project of Ministry of Rural Development was implemented by KSRA in the block with the support from block administration. The project aims to mobilize the stakeholders of MGNREGA for qualitative implementation of the scheme.

   Community based Participatory Planning, Facilitation of MGNREGA, Natural Resource Management, INRM, NRLM, Awareness and handholding for convergence. The objective of the partnership between government, CSOs and CBOs is to strengthen the implementation of the MGNREGS programme by the Government of Jharkhand through active engagement of Partner to play critical facilitation and capacity building roles at the grassroots-strategically mobilizing CBOs (SHG Collectives) and Gram Panchayats, by employing a team of staff under the CFT project

   KSRA has intervened in a positive manner to ensure quality of schemes through its training programs, community mobilization and participation activity. We also have a trained and equipped staff to provide needed support to the administration and build coordination with community for the schemes implementation.

   Under the flagship program of CFT in MNREGA, KSRA could develop NRM based village development plan for 75 villages under YBA. Around 8,700 families were directly benefited. KSRA also supported 12,815 SC/ST families for getting job card and ensured at least 75 labor days per year per jobholder. It

   also worked towards ensuring the quality implementation of schemes and proper utilization of assets created under MNREGA. 20,966 workers could open their personal Bank Accounts with the support of KSRA. Total 329 families could successfully establish mango orchard in 263 acres of land with intercropping under the plantation area. Water harvesting structures were also developed to support the agriculture and plantation activities. It provided technical support to the community around agriculture and livestock. KSRA also provided training and exposure to PRI representative, SHG, GRS and women mate due to which their participation and ownership was enhanced to a great extent. Participation of women in Gram sabhas and planning meeting, NRM Based Labor Budget preparation, setting up Implementation priority, etc. was also

increased. The idea of “Rojgardiwas” was conceived in every panchayat for the smooth implementation of MNREGA project during: Oct 2014 to May 2019 by KSRA.

2. The capacity building of all stakeholders is another foundation of the CFT project where regular trainings, workshops, exposure visits and orientation are to be organised for better implementation of MGNREGA. While this was done frequently in the beginning of the project as could be evident from the training registers, it became difficult for the CSOs to take up these activities because of irregular fund flow and this affected the project in later years. The present training mechanism is routed through the block administration to provide funds from contingency for various capacity building activities. This has increased the frequency of these activities with mate refresher trainings organised once in 4-6 months, on an average. RDD, Jharkhand regularly reviews and directs the CFTs to conduct trainings of all stakeholders and has defined training modules for each such activity. The CFTs facilitate exposure visits of beneficiaries, namely plantation beneficiaries to build their knowledge and understanding through practical methods.

TRAINED PRI MEMBER Under	NO. OF TRAINED PRI MEMBER	Comment
Panchayat Samiti Member	**6**	**Training given by CSO KSRA**

Swamsevak	**356**	**Training given by CSO KSRA**
Gram Pradhan	**178**	**Training given by CSO KSRA**
Total	**540**	**Gram Panchayat Development Plan**

3. The CFT project of Ministry of Rural Development was implemented by KSRA in the block with the support from block administration and line department. The project aims to mobilize the stakeholders of MGNREGA for qualitative implementation of the scheme. It was a pilot intervention by the ministry to strengthen the MGNREGA delivery structure.

4. Organizing Rozgar Divas in all the panchayat of Karra Block: Weekly Rozgar Diwas is organised in around 70 percent of the Panchayats. The KSRA team ensure that Gram Rozgar Sewaks, mates and workers reach the Panchayat Bhawan on the day designated as Rozgar Diwas in the panchayat. Some of the activities were found common in most panchayats with workers demanding for work and job cards. CFTs panchayat-level team members attend this weekly Rozgar Diwas to mobilize the community and provide technical support to the mates. The mates are oriented on a weekly basis on new estimates or schemes that can be taken and a discussion around the issues faced by the mates helps them identify the gaps in their work.

5. Mate training: Selection and training of Women as SHG Mates have been a key strategy in ensuring women‟s participation in MGNREGA implementation. This was carried out all across the state through the success of this strategy in CFT intervention blocks. Nearly 723 SHG mates were selected through Gram Sabhas and trained by CFTs in these Panchayts which had an impact on the overall impact on the quality of works. Though their timely registration, provision of work orders and payment remains an issue to be solved but still it has provided them an opportunity to get a social recognition and an alternate source of livelihood. 712 SHG members are trained as MGNREGA mates in Karra block.

प्रोत्साहन
जिला पशुपालन

www.jagran.com

डीडीसी ने किया मनरेगा लाभुकों को सम्मानित

संवाद सूत्र, कर्राः प्रखंड कार्यालय स्थित किसान भवन में मनरेगा के सीएफटी परियोजना एवं कर्रा प्रखंड कार्यालय के सौजन्य से महिला मेटों एवं मनरेगा लाभुको का प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपविकास आयुक्त मृत्युंजय वर्णवाल ने किया। कार्यक्रम में प्रखंड के सफल किसान जो मनरेगा योजना का लाभ उठाकर जीविका का साधन बनाकर अपने जीवन स्तर को उपर उठा रहे हैं एवं महिला मेट जो मनरेगा योजना को सफल बनाने मे अपना योगदान दे रही हैं, उन्हें डीडीसी द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन चौधरी, केएसआरए के डायरेक्टर साफिन अली,सीएफटी पदाधिकारी दिनेश सिंह, शमीम अख्तर ,सादिक जहां ने भी संबोधित किया। जागृति व गुलाब महिला मंडल द्वारा स्वागत गान प्रस्तुत किया गया। डुमारी निवासी कोइलो उरांव, हसबेड़ा ग्राम की सुनीता धान व मानपुर ग्राम की जयंती तिर्की के अलावा केएसआरए पर 32 वर्षों से कार्यरत सनिका उरांव को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं, केएसआरए के निदेशक द्वारा स्मृति चिन्ह व मोमेंटो प्रदान किया गया। इस अवसर पर 19 महिला मेटों को मनरेगा कीट दिया गया। संचालन शमीम अख्तर ने किया।

6. Mango Plantation: This was a strategy piloted in CFT intervention areas to provide opportunity for livelihood through treatment of Uplands and plantation of Mango saplings to vulnerable

population and marginalised farmers. The strategy included timely supply of saplings, fertilizers, pesticides and source of irrigation in the vicinity with fencing.

Intercropping in mango orchard at Ludru village of Karra block

EXPOSURE VISIT OF MANGO PLANTATION BENEFICIARIES WITH BDO KARRA , BDO TORPA, BPO KARRA & CFT MEMBERS AT GUFU VILLAGE

7. Strenthening of Gram Sabha : As mentioned earlier, one of the key goals of the CFT projects is the strengthening of rural democracy. Gram Sabhas are the temples of rural democracy and greater participation, particularly of the poor and vulnerable communities. The CFT project has been found to have had an extremely significant impact on this as participation of the poor and vulnerable communities (women, elderly, disabled, tribals). The CFT members have upheld the principle of decentralised planning by ensuring representation of all communities in the planning process. RDD, Jharkhand has ambitious plans to begin watershed principle „Ridge to Valley‟ based planning in one revenue village in each CFT panchayat in these blocks which will make all these villages water sustainable in the coming years through the use of MGNREGA.

TRAINED PRI MEMBER	NO. OF TRAINED PRI MEMBER	Comment

MUKHIYA	19	**Training given by CFT CSO KSRA**
WARD MEMBER	210	**Training given by CSO KSRA**
Total	**229**	

Success Story

मनरेगा बना ग्रामीणों के लिए आजीविका का साधन !

संक्षिप्त अवलोकन

झारखण्ड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर गरीब लोग अकुशल, दिहाड़ी, शारीरिक मजदूरी से मिलने वाली मजदूरी पर आश्रित रहते हैं। वे अकसर न्यूनतम साधनों से अपना गुजारा करते हैं। श्रम की अपर्याप्त मांग तथा प्राकृतिक आपदा अथवा बीमारी जैसे अनपेक्षित संकट, ये सभी उनके रोजगार अवसरों पर बहुत बुरा असर डालते हैं तथा मजबूर हो कर आजीविका की तलाश में गांव से दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। विकासशील राज्यों में गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए ऐसे रोजगार कार्यक्रम बहुत लंबे समय से काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। मनरेगा कार्यक्रमों में सिंचाई, वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं सड़क निर्माण जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में सीमित अवधि के लिए अकुशल शारीरिक श्रम एवं परिसंपत्ति निर्माण मुहैया कराया जाता है। इस तरह के संकट के समय गरीब परिवारों को आय का जरिया उपलब्ध कराते हैं और उन्हें आजीविका उपार्जन स्तर बनाए रखने में मदद देते हैं ।

कार्यक्रम की आवश्यकता

भारत के ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने केलिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) पारित किया गया। यह कानून 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। नरेगा का महत्व इस बात में निहित है कि यह कानून मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रमों को अधिकार केंद्रित नजिरये से देखता है और रोजगार मांगने वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी बनता है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह कानून केवल सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करता बल्कि रोजगार अधिकार की गारंटी देता है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को पुष्ट करने के लिए एक वित्त वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार मुहैया कराया जाए

जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। इस कानून का दूसरा मकसद स्थायी संपदाओं को निर्माण करना और ग्रामीण गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती देना है। इस अधिनियम में सुझाए गए कामों में सूखा, वन विनाश, मृदा क्षरण, आदि ऐसे कारणों को दूर करने का प्रयास कियागया है जो स्थायी गरीबी को जन्म देते हैं। इसके पीछे यही सोच रही है कि रोजगार संवर्द्धन की प्रक्रिया एक टिकाऊ आधार पर चलती रहे।

हांलाकि यह कार्यक्रम किसी खास समूह तक सीमित नहीं है लेकिन लगभग सभी राज्यों के अनुभवों से पता चलता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ज्यादातर परिवार गरीबी की रेखा से नीचे (बीपीएल) हैं और वे मनरेगा के अंतर्गत रोजगार पाने में सफल रहे हैं। कहा गया है जब हौसला बुलंद हो तो कामयाबी खुद क़दम चूमती है! ऐसा ही मिशाल पेश किया है कोयलो उराँव ने जो खूंटी जिला, कर्रा प्रखंड के बमरजा पंचायत के डुमारी ग्राम के निवासी है । यह सफलता की कहानी एक अनुसूचित जनजाति परिवार की ही है।

चुनौती

सूखा प्रभावित तथा पिछड़ा क्षेत्र जहाँ आवागमन का साधन कम है आर्थिक पिछड़ापन होने के बावजूद भी डुमारी गाँव का यह किसान अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है खेती के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होना समय पर बारिश नहीं होना यह सब उसके लिए काफी चुनौती है ।

क्रियान्वयन एजेंसी: ग्राम पंचायत बमरजा, प्रखंड कर्रा, जिला- खूंटी

योजना सिंचाई कूप, कुल लागत: 420900/- वित्तीय वर्ष 2015-16

योजना की प्रक्रिया

जब कोयलो उराँव को जानकारी मिली कि मनरेगा अंतर्गत सिंचाई कूप मिलता है तो उन्होंने ग्राम सभा में चर्चा कर अपने नाम से सिंचाई कूप मांग की । तथा ग्राम सभा की कॉपी ग्राम रोजगार सेवक को प्रदान की गयी तदुपरांत प्रखंड स्तर से योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी । सिंचाई कूप निर्माण की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि लाभुक

के पास सम्पूर्ण खेत में सिंचाई के लिए पानी की बहुत कमी थी कोयलो दूसरे के खेत में खेती करता था तथा वह अपना खेत होते हुए भी सिंचाई का साधन नहीं होने पर चाहते हुए भी सिंचाई करने में असमर्थ था । अब मनरेगा के अंतर्गत कुआँ निर्माण के बाद उन्हें पानी की समस्या नहीं है ।

<u>अभिसरण</u>

मनरेगा अभिसरण के तहत भूमि संरक्षण विभाग से स्प्रिंकलर सिस्टम प्राप्त हुआ है ।

<u>योजना का प्रभाव</u>

कोयलो उराँव का कहना है कि पहले से अब वो चार से पांच गुना ज़्यादा खेती कर फसल उपजा रहे हैं । इस वर्ष सब्जी खेती (आलू, मटर, बिन, करेला, गोभी, प्याज़, टमाटर, आरु इत्यादि) से कुल लाभ लगभग 210000 रुपया तक हुआ । अभी निकट भविष्य में भी सब्जी नकद बिक्री की जाएगी तथा अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं । मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई कूप निर्माण कर नगद खेती कर रहे हैं, जिससे डुमारी गांव के ही नहीं बल्कि कर्रा प्रखंड के बहुत सारे किसानो को भी प्रेरणा मिल रही है।

लाभुक का कहना है कि अब हर मौसम में खेती कर रहे हैं और परिवार के भरण पोषण, बच्चो की शिक्षा के खर्च के साथ साथ खेती में भी पूंजी लगा कर कर्रा प्रखंड में एक उभरते हुए किसान के रूप में लोगो को प्रेरित कर रहे हैं । मनरेगा से मिली उपलब्धियों को लोगों तक बेहतर संदेश देने का काम कर रहे हैं ।

क्रियान्वयन एजेंसी: ग्राम पंचायत बमरजा, प्रखंड कर्रा, जिला- खूंटी

<u>योजना: बिरसा मुंडा बागवानी, कुल लागत: 168200/- वित्तीय वर्ष 2018-19.</u>

सूखा प्रभावित क्षेत्र में वृक्षरोपण काफी मददगार होता है इसके तहत आम बागवानी से जीविकोपार्जन में काफी सहायता मिलती है । दूसरी तरफ बागवानी के लिए पानी का साधन उपलब्ध होने पर लाभुक का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ था । मनरेगा अंतर्गत 2018 में कर्रा प्रखंड में जब पहली बार बिरसा मुंडा आम बागवानी प्रारम्भ हुआ तो इस सिलसिले में कोयलो उराँव सारात्मक सोच को प्रदर्शित कर उत्साह भरे कदम आगे बढ़ाये और अपना

एक एकड़ खेत में बिरसा मुंडा आम बागवानी के लिए ग्राम सभा में चर्चा कर अपने नाम से बागवानी योजना मांग की । जिसमें तीन वर्षों तक उनके परिवार तथा आस पास के अन्य लोग रोजगार से जुड़े रहेंगे साथ ही साथ मिश्रित खेती कर आजीविका उपार्जन भी होती रहेगी । बागवानी में ही अन्तःफसल कर आय का साधन को बरकरार रहेगा साथ ही बागवानी की देख भाल भी होता रहेगा । घेरान करने तथा ‘H’ टेका लगाने का भी पैसा मिला पानी पटाने और पौधों के आसपास खरपतवार हटाने का भी मजदूरी मिला यह देख कर लाभुक अत्यधिक उत्साहित है । वो कहते हैं यह योजना वैसे ही है मानो आम का आम और गुठली का भी दाम । आज कोयलो उराँव मनरेगा लाभुक होने की सफल कहानी से लोगो को संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से मनरेगा द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सहयोग किया जा सकता है ।

मनरेगा, PO, डी0 आर0 डी0 ए0, खूंटी एवं सी एफ टी संस्था कर्रा सोसाइटी फॉर रूरल एक्शन के

सदस्य लाभुक एवं उनके परिवार से मिल कर उनके बागवानी क्षेत्र कानिरिक्षण करते हुए।

कर्रा सोसाइटी के समन्वयक जनवरी-फरवरी 2020 में अन्तः फसल एवं आम बगान की स्थिति को देखने के लिए भ्रमण कर जाड़े के मौसम में करने वाले बचाव के बारे में बताते हुए.